[2019] 4 उम. नि. प. 238

आर. एस. अंजाया गुप्ता

बनाम

तिप्पैया सेट्टी

[2009 की सिविल सं. 7418]

1 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 एवं आदेश 41 का नियम 31 और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956] – अपील – वाद संपत्ति का क्रय – वाद संपत्ति का क्रय, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब निधि से और साथ ही स्व-अर्जित निधि से किए जाने का दावा करना – आक्षेप – उत्तराधिकार का निर्धारण – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह साबित कर दिया जाता है कि वाद संपत्ति का क्रय संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब निधि से किया गया है न कि स्व-अर्जित निधि से किया गया है तो उस संपत्ति में उत्तराधिकारियों के स्वत्व, हक और अधिकारों का निर्धारण, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब को लागू विधि के अनुसार ही किया जाएगा न कि स्व-अर्जित निधि से क्रय संपत्ति को लागू उत्तराधिकार विधि के अनुसार किया जाएगा ।

वर्तमान अपील में, पक्षकार मूल प्रतिवादी सं. 3-कुटुम्ब का कुलपति, हनुमंतईया सेट्टी के बच्चे हैं । अपीलार्थी बड़ा पुत्र है जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 उसके छोटे भाई हैं । प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 हनुमंतईया सेट्टी की पुत्रियां हैं और इस प्रकार वे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की बहिनें हैं । विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान जब हनुमंतईया सेट्टी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 उसके विधिक प्रतिनिधिगण के रूप में अभिलेख पर आए थे । यह अपील, प्रत्यर्थी सं. 1 (मूल वादी) द्वारा अपीलार्थी (मूल प्रतिवादी सं. 1), प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल प्रतिवादी सं. 2)

और मूल प्रतिवादी सं. 3 हनुमंतईया सेट्टी के विरुद्ध XXXI अपर सिटी सिविल न्यायाधीश, बंगलौर के समक्ष फाइल 1982 की मूल वाद सं. 1300 में कतिपय संपत्तियों का बंटवारा करने के लिए वाद से उद्भूत हुआ है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने वाद के अन्य पक्षकारों को समाविष्ट करते हुए, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का एक सदस्य होने का दावा करते हुए, यह अभिकथित किया कि अनुसूचित वाद संपत्तियां उक्त संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित हैं क्योंकि मूल प्रतिवादी सं. 3 – पिता ने संयुक्त कुटुम्ब निधियों से उन्हें क्रय किया था । प्रत्यर्थी सं. 1 का अभिवाक् यह था कि वादपत्र की अनुसूची ए और बी में उल्लिखित वाद संपत्तियां जब अपीलार्थी के नाम में प्रत्यक्ष तौर पर क्रय की गई थीं तब वह कुटुम्ब का एक ज्येष्ठतम सदस्य (प्रतिवादी सं. 3 के पश्चात्) था और सबसे बड़ा पुत्र भी था, तथापि, वास्तव में, उक्त संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थीं । प्रत्यर्थी सं. 1 ने यह भी प्राख्यान किया कि वाद संपत्तियां अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 और मूल प्रतिवादी सं. 3 के संयुक्त कब्जे में थीं और यह कि अपीलार्थी अवैध तौर पर उन्हें उससे बेकब्जा करने और उसके विभाजन में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए, यह वाद फाइल करने की आवश्यता हुई । तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 ने वाद संपत्तियों में 1/4 हिस्से और उसके संबंध में अंत:कालीन लाभों की ईप्सा की है । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत ने पक्षकारों के बीच कतिपय संपत्तियों जिनमें वाद की अनुसूची ए और बी में उल्लिखित संपत्तियां सम्मिलित थीं, का पूर्व विभाजन पहले ही कर चुका था जो यह उपदर्शित करता है कि ऐसी संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थीं । पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वाद अनुसूचित संपत्तियां पक्षकारों के बीच अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 को वाद अनुसूचित संपत्तियों में प्रत्येक को 5/12 हिस्सा देते हुए और प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को वाद अनुसूचित संपत्तियों में प्रत्येक को 1/12 हिस्सा देते हुए विभाजित हुई थी । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 को देय अंत:कालीन लाभों की जांच करने का भी आदेश दिया था । विचारण न्यायालय के विनिश्चय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की आरएफए सं. 456 के अधीन एक

अपील प्रस्तुत की । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तारीख 7 सितम्बर, 2004 के अपने निर्णय में यह अभिलिखित किया कि विवाद्यक मात्र वादपत्र के अनुसूची ए और बी में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में था और तद्नुसार, उस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को कायम रखा । उच्च न्यायालय ने वादी के इस दलील को उल्लिखित किया कि यद्यपि, संपत्तियां अपीलार्थी के नाम में क्रय की गई थीं फिर भी, उक्त क्रय संयुक्त कुटुम्ब प्रास्थिति की निरंतरता को कायम रखते हुए किए गए थे । संपत्तियों को ऋण की सहायता से क्रय किया गया था और उस पर ब्याज का संदाय स्वीकृततः मूल प्रतिवादी सं. 3 द्वारा संदत्त किया गया था न कि अपीलार्थी द्वारा । वाद अनुसूचित संपत्ति पर किए जा रहे कारबार की अनुज्ञप्ति प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम में ली गई थी और पट्टा, मूल प्रतिवादी सं. 3 के नाम में लिया गया था जबकि अपीलार्थी मात्र कारबार का प्रबंध करता था । अपीलार्थी का तात्पर्यित कारबार वास्तव में, सभी पक्षकारों की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा था और अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि या तो वह स्वतंत्र रूप से कोई कारबार कर रहा था या कि उसने कुटुम्ब निधियों के सहायता के बिना वाद अनुसूचित संपत्तियों को क्रय किया था । उसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष न्यायसंगत और समुचित है और इस प्रकार अपीलार्थी की दलीलों को नामंजूर कर दिया, यद्यपि, अपीलार्थी को इस बात की जांच कराने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष जाने देने को मंजूर कर लिया कि क्या अन्य पक्षकारों द्वारा कृषिय भूमि का विक्रय अपीलार्थी पर आबद्धकर होगा और उस संबंध में कोई अन्य प्रारंभिक डिक्री पारित किया जाए, यदि आवश्यक हो । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उसी उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की आरपी सं. 567 के अधीन एक पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को तारीख 27 सितम्बर, 2006 को खारिज कर दिया गया था । अतएव, वर्तमान अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री शैलेश

मडियाल को सुना । श्री मडियाल की मुख्य दलील यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पर चर्चा या विचार किए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है । आगे, अपीलार्थी यह अभिवाक् करने और यह साबित करने में भी असफल रहा था कि संयुक्त कुटुम्ब की संचित निधि के अधीन संपत्तियों के कब्जे में था जिसके पास क्रमश:, अनुसूची ए और बी की संपत्तियों का क्रय करने के लिए पर्याप्त निधि थी । अतएव, इस मामले में, उक्त संपत्ति की संयुक्तता की उपधारणा नहीं की जा सकती है । उसके बाद यह तर्क दिया कि दोनों न्यायालय इस दुरूह साक्ष्य पर विचार करने में असफल रहे जो यह सिद्ध करता था कि अपीलार्थी ने अनुसूचित वाद संपत्तियों को क्रय करने के लिए स्वयं अपनी वैयक्तिक निधियों से धन संदत्त किया था और अतएव, वह उसका पूर्ण स्वामी हो गया था । उसने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 पर ऐसे संचित निधि की संपत्तियों के अस्तित्व और पर्याप्तता को सिद्ध करने का भार अधिरोपित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है और उच्च न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए था । न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 (वादी) के विद्वान् काउंसेल श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव को भी सुना जिन्होंने यह तर्क दिया कि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि कुटुम्ब के सदस्य, अविभाजित संयुक्त कुटुम्ब के रूप में रह रहे थे और यह कि अनुसूचित वाद संपत्तियां विधिक सलाह पर अपीलार्थी के नाम में क्रय की गई थीं किन्तु वास्तव में, प्रतिफल रकम का संदाय संयुक्त कुटुम्ब निधियों से किया गया था । उसके बाद, उन्होंने यह दलील दी कि यह सुस्थिर विधि है कि जब एक बार यह स्वीकार या साबित कर दिया जाता है कि पर्याप्त संयुक्त कुटुम्ब संचित निधि थी जिसमें से संपत्तियां अर्जित की जा सकती थीं तो इसके पश्चात्, यह उपधारणा उद्भूत होगी कि संपत्तियां, संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां हैं । इस मामले में, उसके बाद, विरोधी पक्षकार अपीलार्थी को यह साबित करना था कि उसने स्वयं अपनी निधियों से संपत्तियां अर्जित की थीं । वर्तमान मामले में, अनुसूचित वाद संपत्तियों से किए जा रहे कारबार से यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि इसे कुटुम्ब सदस्यों द्वारा चलाए जाने के नाते यह संयुक्त

कुटुम्ब कारबार के रूप में था और इसे संयुक्त कुटुम्ब निधियों से अर्जित किया गया था । अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 1/वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य को चुनौती देने में असफल रहा और संयुक्त कुटुम्ब संचित निधि के अस्तित्व को प्रत्यर्थी सं. 1/मूल वादी द्वारा साबित कर दिया गया है और इसे अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकार किया गया है । न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वाद, पूर्व में वर्ष 1982 में फाइल किया गया था और यह कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील वर्ष 2009 से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है । न्यायालय, एक प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को हटाने के बजाय स्वयं इसके गुणागुणों पर मामले का विचार करने और इसकी परीक्षा करने के लिए सहमत थे । किन्तु, यह उल्लिखित किया गया कि अपीलार्थी ने तथ्यों के साथ ही विधि के निषिद्ध योग्य विवाद्यकों को उद्भूत किया है जिस पर उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम प्रेरणा पर ही समुचित ध्यान देना चाहिए था । अतिरिक्त तौर पर, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की इस शिकायत पर भी ध्यान देना चाहिए था कि दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जो अपीलार्थी की राय में दुरूह थे, को भी प्रदर्शित नहीं किया गया है, यद्यपि, उन्हें विचारण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जैसा कि अपीलार्थी द्वारा फाइल लिखित निवेदनों में उल्लिखित किया गया है । इसलिए, हम निर्णयज मामलों में इस न्यायालय की संगत राय से विचलित होने की इच्छा नहीं रखते हैं कि प्रथम अपील न्यायालय को संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए था और उसमें निहित अधिकारिता के समुचित भाव में अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहिए था और व्याख्या करते हुए, विश्लेषण करते हुए, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि अपील गुणागुण रहित है । न्यायालय, प्रदर्शित दस्तावेजों के प्ररूप में अभिवचनों और साक्ष्यों का और जिनमें अप्रदर्शित दस्तावेज सम्मिलित हैं और इसके सिवाय कि जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विचार में लेना चाहिए था और विधि में यथाअनुज्ञेय रूप से निष्कर्ष निकालना चाहिए था, विश्लेषण करने के लिए आबद्ध हैं । दूसरे शब्दों में, न्यायालय संविवाद के गुणागुणों पर

कोई भी राय अभिव्यक्त करना समुचित नहीं समझता है । उच्च न्यायालय, आक्षेपित निर्णय में अभिव्यक्त किए गए किसी भी मताभिव्यक्ति के प्रभाव में आए बिना प्रथम अपील का विनिश्चय करेगा । क्योंकि वर्ष 2002 में संबंधित प्रथम अपील को वापस भेजा गया था, इसलिए, यह न्यायालय, उच्च न्यायालय से उसे तत्परतापूर्वक निपटारा करने का निवेदन करता है । (पैरा 13, 14, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 1 एस. सी. सी. 604 (पैरा सं. 10-11, 13-18) :
सी. वेंकट स्वामी बनाम **एच. एन. शिवन्ना (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधि और एक अन्य** ; 13,17

[2017] (2017) 15 एस. सी. सी. 309 :
यू. मंजूनाथ राव बनाम **यू. चंद्रशेखर और अन्य** ; 15,17

[2016] (2016) 13 एस. सी. सी. 124 :
भारत संघ बनाम **के. वी. लक्ष्मण और अन्य** ; 17

[2011] (2011) 12 एस. सी. सी. 174 :
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बनाम **इम्मसंस इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य** ; 17

[2010] (2010) 13 एस. सी. सी. 530 (पैरा सं. 3 और 5) :
बी. वी. नागेश और एक अन्य बनाम **एच. वी. श्रीनिवास मूर्ति** ; 17

[2007] (2007) 1 एस. सी. सी. 521 (पैरा सं. 12-17) :
अप्पा साहेब पीरप्पा चमद्गाडे बनाम **देवेन्द्र पीरप्पा चमद्गाडे और अन्य** ; 13,15

[2005] (2005) 12 एस. सी. सी. 303 (पैरा सं. 2) :
जगन्नाथ बनाम **अरुलप्पा और एक अन्य** ; 17

[2005] (2005) 10 एस. सी. सी. 243 (पैरा सं. 3) :
एच. के. एन. स्वामी बनाम **इरशाद बासित**
(मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण ; 17

[2001] (2001) 4 एस. सी. सी. 756 (पैरा सं. 5) :
मधुकर और अन्य बनाम **संग्राम और अन्य** ; 13,17

[2001] (2001) 3 एस. सी. सी. 179 (पैरा सं. 15) :
संतोष हजारी बनाम **पुरुषोत्तम तिवारी** ; 15,17

[1969] (1969) 1 एस. सी. सी. 386 (पैरा सं. 6) :
मूडी गौड़ा गौडप्पा संख बनाम **रामचन्द्र रावगौड़ा संख** ; 13

[1969] ए. आई. आर. 1969 केरल 316 :
कुरियन चाको बनाम **वर्की ऑसेफ** ; 17

[1968] ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1276 (पैरा सं. 3) :
जी. नारायण राजू (मृत) मार्फत इसके
विधिक प्रतिनिधि बनाम **जी. चमराजू और अन्य** ; 13

[1968] [1968] 2 एस. सी. आर. 62 (पैरा सं. 4 और 5) :
वी. डी. धनवातेय बनाम
आय कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, नागपुर ; 15

[1951] ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 120 (पैरा सं. 15) :
सरजू प्रसाद राम देव साहू बनाम
ज्वालेश्वरी प्रताप नारायण सिंह और अन्य । 17

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2009 की सिविल सं. 7418.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शैलेश मडियाल और सुधांशु प्रकाश, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री राघवेन्द्र एस. श्रीवत्स, पाई अमित और अभिजीत पी. मेध, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने दिया ।

न्या. खानविलकर – वर्तमान अपील, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर द्वारा 2002 की आर. एफ. ए. सं. 456 में पारित तारीख 7 सितम्बर, 2004 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इन निष्कर्षों को कायम रखा है कि वादपत्र के अनुसूचित ए और बी में वर्णित वाद संपत्तियां अपीलार्थी (प्रतिवादी सं. 1) द्वारा स्व-अर्जित नहीं है, अपितु इसके बजाय ये संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित है जिसका वह एक सदस्य था और इसलिए, वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 वाद संपत्तियों में 5/12 हिस्से के समान रूप से हकदार हैं और प्रतिवादी सं. 3 (ए), (बी) और (सी) प्रत्येक वाद संपत्तियों में 1/24 हिस्से के हकदार हैं और इस प्रकार, इसे उक्त संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों के बीच विभाजित और आबंटित किया जा सकता है । तथापि, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को जाने की स्वतंत्रता मंजूर कर दी थी कि क्या संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित कृषि भूमियों का विक्रय अपीलार्थी (प्रतिवादी सं. 1) पर आबद्धकर होगा और कोई अन्य प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है, यदि आवश्यक हो । अपीलार्थी द्वारा तारीख 27 सितम्बर, 2006 को फाइल 2002 की पुनर्विलोकन आवेदन सं. 567 को नामंजूर करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को भी आक्षेपित किया गया है ।

2. इस अपील के पक्षकार मूल प्रतिवादी सं. 3 – कुटुम्ब का कुलपति, हनुमंतईया सेट्टी के बच्चे हैं । अपीलार्थी बड़ा पुत्र है जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 उसके छोटे भाई हैं । प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 हनुमंतईया सेट्टी की पुत्रियां हैं और इस प्रकार वे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की बहिनें हैं । विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान जब हनुमंतईया सेट्टी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 उसके विधिक प्रतिनिधिगण के रूप में अभिलेख पर आए थे ।

3. यह अपील, प्रत्यर्थी सं. 1 (मूल वादी) द्वारा अपीलार्थी (मूल प्रतिवादी सं. 1), प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल प्रतिवादी सं. 2) और मूल प्रतिवादी

सं. 3 हनुमंतईया सेट्टी के विरुद्ध XXXI अपर सिटी सिविल न्यायाधीश, बंगलौर के समक्ष फाइल 1982 की मूल वाद सं. 1300 में कतिपय संपत्तियों का बंटवारा करने के लिए वाद से उद्भूत हुआ है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने वाद के अन्य पक्षकारों को समाविष्ट करते हुए, संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का एक सदस्य होने का दावा करते हुए, यह अभिकथित किया कि अनुसूचित वाद संपत्तियां उक्त संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित हैं क्योंकि मूल प्रतिवादी सं. 3 – पिता ने संयुक्त कुटुम्ब निधियों से उन्हें क्रय किया था । प्रत्यर्थी सं. 1 का अभिवाक् यह था कि वादपत्र की अनुसूची ए और बी में उल्लिखित वाद संपत्तियां जब अपीलार्थी के नाम में प्रत्यक्ष तौर पर क्रय की गई थीं तब वह कुटुम्ब का एक ज्येष्ठतम सदस्य (प्रतिवादी सं. 3 के पश्चात्) था और सबसे बड़ा पुत्र भी था, तथापि, वास्तव में, उक्त संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थीं । प्रत्यर्थी सं. 1 ने यह भी प्राख्यान किया कि वाद संपत्तियां अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 और मूल प्रतिवादी सं. 3 के संयुक्त कब्जे में थीं और यह कि अपीलार्थी अवैध तौर पर उन्हें उससे बेकब्जा करने और उसके विभाजन में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए, यह वाद फाइल करने की आवश्यता हुई । तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं. 1 ने वाद संपत्तियों में 1/4 हिस्से और उसके संबंध में अंत:कालीन लाभों की ईप्सा की है ।

4. मूल प्रतिवादी सं. 3 – पिता ने प्रत्यर्थी सं. 1/मूल वादी के आधार के समर्थन में, अपने लिखित कथन में यह दलील दी कि वाद संपत्तियां, संयुक्त कुटुम्ब के लिए और की ओर से क्रय की गई थीं और वे मात्र अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 के नाम में क्रय की गई थीं क्योंकि मूल प्रतिवादी सं. 3 बंगलौर नहीं आ सकता था जहां प्रश्नगत संपत्तियां स्थित थीं और क्योंकि अपीलार्थी सबसे बड़ा पुत्र था और जिसे सभी लोग जानते थे । उसने इस बात से इनकार किया कि वाद संपत्तियां अपीलार्थी की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं और यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाया कि संपत्तियां उसके नाम में क्रय की गई थीं । उसके बाद, उसने यह निवेदन किया कि उसके बच्चों अर्थात् अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का वाद

संपत्तियों में समान हिस्सा, अधिकार, हक और हित था । तद्नुसार, मूल प्रतिवादी सं. 3 ने इसमें के प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 (जो उक्त लिखित निवेदन फाइल करने के समय पर उसकी अविवाहित पुत्रियां थीं और वाद में पक्षकार के रूप में अभिवाचित नहीं की गई थीं) के लिए उपबंध करने के पश्चात् अपने बच्चों के बीच वाद संपत्तियों का विभाजन करने की ईप्सा की थी । प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल प्रतिवादी सं. 2) ने प्रत्यर्थी सं. 1 और मूल प्रतिवादी सं. 3 के आधार का समर्थन किया और उसे दोहराया ।

5. इसके विपरीत, अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 ने इस बात से इनकार किया कि वादपत्र के अनुसूची ए और बी में दर्शित संपत्तियों को संयुक्त कुटुम्ब निधियों से कुटुम्ब द्वारा क्रय की गई थीं अथवा यह कि वे संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब से संबंधित थीं और यह निवेदन किया कि वह उसका पूर्ण स्वामी है क्योंकि उसने उसे स्वयं अपनी निधियों और ऋणों से क्रय किया था । अपीलार्थी ने यह निवेदन किया कि वह क्रय करने की तारीख से उक्त संपत्तियों के अनन्य कब्जे और उपभोग में था और उसके साथ उसके संव्यवहार में किसी अवैधता का प्रश्न ही नहीं उठता है । अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि उक्त संपत्तियों में से एक पर निर्मित दुकान उसके द्वारा चलाई जा रही थी जिसे प्रत्यर्थी सं. 2 और मूल प्रतिवादी सं. 3 को विक्रय कर दिया था और यह कि वह उस विक्रय प्रतिफल का हकदार था । अतिरिक्त तौर पर, अपीलार्थी, मूल प्रतिवादी सं. 3 – पिता की कतिपय अन्य पैतृक संपत्ति में 1/4 हिस्से का हकदार था । अपीलार्थी ने एक अतिरिक्त लिखित कथन भी फाइल किया जिसमें उसने यह अभिकथित किया कि कतिपय कुटुम्ब संपत्तियों का सआशय घृणित प्रयोजनों के लिए वादपत्र से लोप कर दिया गया था ।

6. उपर्युक्त अभिवचनों के आधर पर विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :–

> "7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विचारक विरचित किए गए हैं –
>
> (i) क्या वादी और प्रतिवादी, हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के

सदस्य हैं ?

(ii) क्या वाद अनुसूचित संपत्तियों को प्रतिवादी सं. 3 द्वारा संयुक्त कुटुम्ब निधियों से प्रतिवादी सं. 1 के नाम में क्रय की गई हैं ?

(iii) क्या वादी उस हिस्से का हकदार है, जैसा कि वादपत्र अनुसूचित संपत्तियों में दावा किया है ?

(iv) क्या वाद संपत्तियां, प्रतिवादी सं. 1 की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं ?

(v) क्या आदेश या डिक्री पारित किया जाना चाहिए ?

अतिरिक्त विवाद्यक सं. 2क – क्या वाद संपत्तियां, वादी और प्रतिवादियों की संयुक्त कुटुम्ब संपत्तियां हैं ?

7. मामला लंबित रहने के दौरान मूल प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु हो गई और वर्तमान प्रतिवादी सं. 3 से 5 पुत्रियां हैं जिन्हें उसके विधिक प्रतिनिधियों के रूप में अभिलेख पर लाया गया था । इसके पश्चात्, विचारण न्यायालय ने तारीख 30 जनवरी, 2002 को अपना निर्णय दिया जिसमें उसने सभी विवाद्यकों पर प्रत्यर्थी सं. 1/मूल प्रतिवादी के पक्ष में निष्कर्ष निकाला था । विचारण न्यायालय की यह राय थी कि अपीलार्थी ने संयुक्त कुटुम्ब से किसी विभाजन या पृथक्करण का दावा नहीं किया था और वस्तुतः, उसने मूल प्रतिवादी सं. 3 की कतिपय अन्य पैतृक संपत्तियों में 1/4 हिस्से का दावा किया था । यह इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि पक्षकार अर्थात् अपीलार्थी (मूल प्रतिवादी सं. 1), प्रत्यर्थी सं. 1 (मूल वादी), प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल प्रतिवादी सं. 2) और मूल प्रतिवादी सं. 3 हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थे ।

8. विचारण न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का अवलंब लेते हुए, यह राय व्यक्त की कि जब एक बार वाद संपत्तियों का अर्जन संयुक्त कुटुम्ब का संचित निधि होना स्वीकार या साबित कर दिया जाता है तो इसके पश्चात् संयुक्त कुटुम्ब के अन्य सदस्य द्वारा अर्जित संपत्ति उस संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति की संपत्तियां समझी जाएंगी, इस शर्त के अध्यधीन की अर्जित संपत्ति ऐसी संपत्ति थी कि उस संपत्ति को

कुटुम्ब के उद्देश्य मात्र के लिए ही अर्जित की जा सकती थी । इसका कारण यह है कि वाद संपत्तियों का अर्जन संयुक्त कुटुम्ब की संचित निधि की संपत्ति सिद्ध होने के पश्चात् सबूत का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जो यह दावा करता है कि ऐसी संपत्ति उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है, उसे यह साबित करना होता है कि ऐसी संपत्ति कुटुम्ब की किसी सहायता के बिना उसके द्वारा अर्जित की गई थी । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर के साक्ष्यों से संयुक्त कुटुम्ब का अस्तित्व सिद्ध होता है और इसके पश्चात् अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी सं. 1, इस भार का निर्वहन करने में असफल रहा कि वाद अनुसूचित संपत्तियां, स्व-अर्जित संपत्तियां थीं और यह साबित करने में भी असफल रहा कि उसका कारबार, जिसे वह कर रहा था जिससे उसने वाद अनुसूचित संपत्तियों को क्रय करने का दावा किया है वह कुटुम्ब निधियों की सहायता के बिना कर रहा था ।

9. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के इस दलील को भी नामंजूर कर दिया था कि वह प्रतिवादी साक्षी 3 अधिवक्ता के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए अनुसूचित वाद संपत्तियों का एकमात्र स्वामी था । प्रतिवादी साक्ष्य 3 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने मूल प्रतिवादी सं. 3 को अपीलार्थी के नाम में उक्त संपत्तियों को क्रय करने की सलाह दी थी क्योंकि मूल प्रतिवादी सं. 3 बूढ़ा हो गया था और गांव में रहता था और क्योंकि पक्षकार, अविभाजित संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों के रूप में रह रहे थे । विचारण न्यायालय ने उस साक्ष्य का भी अवलंब लिया जो यह दर्शित करता था कि मूल प्रतिवादी सं. 3 ने अनुसूचित वाद संपत्तियों में से कुछ के लिए ऋण लिया था और उस संबंध में ब्याज संदत्त किया था । विचारण न्यायालय ने यह कारण दिया कि यदि अपीलार्थी वस्तुतः, संपत्तियों का पूर्ण और स्वतंत्र स्वामी था तो उसके बाद मूल प्रतिवादी सं. 3 को उक्त संपत्तियों के लिए कोई संदाय करने का कोई कारण नहीं बनता था । अतिरिक्त तौर पर, अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अनुसूचित संपत्तियों पर किए जा रहे कारबार के लिए कतिपय किराया रसीदें वादी के पिता (मूल प्रतिवादी सं. 3) और अपीलार्थी मूल प्रतिवादी सं. 1 के नाम में जारी की गई थीं, इस प्रकार

यह साबित होता है कि वे संयुक्त कुटुम्ब कारबार में लगे हुए थे और न कि अपीलार्थी द्वारा स्वतंत्र तौर पर कारबार किया जा रहा था । विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लिखित किया कि अपीलार्थी यह स्पष्टीकरण करने में असफल रहा कि क्यों मूल प्रतिवादी सं. 3 ने अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए आधार का समर्थन किया और न कि अपीलार्थी का । इन कारणों से यह सिद्ध होता है कि वाद अनुसूचित संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थीं न कि अपीलार्थी की थीं । अतिरिक्त तौर पर, वादपत्र के अनुसूची सी में उल्लिखित संपत्तियां स्वीकृत तौर पर संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां थीं ।

10. विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत ने पक्षकारों के बीच कतिपय संपत्तियों जिनमें वाद की अनुसूची ए और बी में उल्लिखित संपत्तियां सम्मिलित थीं, का पूर्व विभाजन पहले ही कर चुका था जो यह उपदर्शित करता है कि ऐसी संपत्तियां संयुक्त कुटुम्ब से संबंधित थीं । पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वाद अनुसूचित संपत्तियां पक्षकारों के बीच अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 को वाद अनुसूचित संपत्तियों में प्रत्येक को 5/12 हिस्सा देते हुए और प्रत्यर्थी सं. 3 से 5 को वाद अनुसूचित संपत्तियों में प्रत्येक को 1/12 हिस्सा देते हुए विभाजित हुई थीं । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 को देय अंत:कालीन लाभों की जांच करने का भी आदेश दिया था ।

11. विचारण न्यायालय के विनिश्चय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की आरएफए सं. 456 के अधीन एक अपील प्रस्तुत की । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तारीख 7 सितम्बर, 2004 के अपने निर्णय में यह अभिलिखित किया कि विवाद्यक मात्र वादपत्र के अनुसूची ए और बी में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में था और तद्नुसार, उस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को कायम रखा । उच्च न्यायालय ने वादी के इस दलील को उल्लिखित किया कि यद्यपि, संपत्तियां अपीलार्थी के नाम में क्रय की गई थीं फिर भी, उक्त क्रय संयुक्त कुटुम्ब प्रास्थिति की निरंतरता को कायम रखते हुए किए गए थे । संपत्तियों को ऋण की सहायता से क्रय

किया गया था और उस पर ब्याज का संदाय स्वीकृतत: मूल प्रतिवादी सं. 3 द्वारा संदत्त किया गया था न कि अपीलार्थी द्वारा । वाद अनुसूचित संपत्ति पर किए जा रहे कारबार की अनुज्ञप्ति प्रत्यर्थी सं. 2 के नाम में ली गई थी और पट्टा, मूल प्रतिवादी सं. 3 के नाम में लिया गया था जबकि अपीलार्थी मात्र कारबार का प्रबंध करता था । अपीलार्थी का तात्पर्यित कारबार वास्तव में, सभी पक्षकारों की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा था और अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि या तो वह स्वतंत्र रूप से कोई कारबार कर रहा था या कि उसने कुटुम्ब निधियों की सहायता के बिना वाद अनुसूचित संपत्तियों को क्रय किया था । उसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष न्यायसंगत और समुचित है और इस प्रकार अपीलार्थी की दलीलों को नामंजूर कर दिया, यद्यपि, अपीलार्थी को इस बात की जांच कराने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष जाने देने को मंजूर कर लिया कि क्या अन्य पक्षकारों द्वारा कृषिय भूमि का विक्रय अपीलार्थी पर आबद्धकर होगा और उस संबंध में कोई अन्य प्रारंभिक डिक्री पारित किया जाए, यदि आवश्यक हो ।

12. इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उसी उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की आरपी सं. 567 के अधीन एक पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को तारीख 27 सितम्बर, 2006 को खारिज कर दिया गया था । अतएव, वर्तमान अपील फाइल की गई ।

13. हमने, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री शैलेश मडियाल को सुना । श्री मडियाल की मुख्य दलील यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पर चर्चा या विचार किए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है । आगे, अपीलार्थी यह अभिवाक् करने और यह साबित करने में भी असफल रहा था कि संयुक्त कुटुम्ब की संचित निधि के अधीन संपत्तियों के कब्जे में था जिसके पास क्रमश:, अनुसूची ए और बी की संपत्तियों का क्रय करने के लिए पर्याप्त निधि थी । अतएव, इस मामले में, उक्त संपत्ति की संयुक्तता की उपधारणा नहीं की जा सकती है । उसके बाद यह तर्क दिया कि दोनों न्यायालय इस दुरूह साक्ष्य पर विचार करने में असफल

रहे जो यह सिद्ध करता था कि अपीलार्थी ने अनुसूचित वाद संपत्तियों को क्रय करने के लिए स्वयं अपनी वैयक्तिक निधियों से धन संदत्त किया था और अतएव, वह उसका पूर्ण स्वामी हो गया था । उसने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 पर ऐसे संचित निधि की संपत्तियों के अस्तित्व और पर्याप्तता को सिद्ध करने का भार अधिरोपित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है और उच्च न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए था । श्री मडियाल ने अपने निवेदनों के समर्थन में **सी. वेंकट स्वामी** बनाम **एच. एन. शिवन्ना (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधि और एक अन्य**[1], **मधुकर और अन्य** बनाम **संग्राम और अन्य**[2], **मूडी गौड़ा गौडप्पा संख** बनाम **रामचन्द्र रावगौड़ा संख**[3], **जी. नारायण राजू (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधि** बनाम **जी. चमराजू और अन्य**[4] तथा **अप्पा साहेब पीरप्पा चमद्गाडे** बनाम **देवेन्द्र पीरप्पा चमद्गाडे और अन्य**[5] वाले मामलों को निर्दिष्ट किया ।

14. हमने, प्रत्यर्थी सं. 1 (वादी) के विद्वान् काउंसेल श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव को भी सुना जिन्होंने यह तर्क दिया कि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि कुटुम्ब के सदस्य, अविभाजित संयुक्त कुटुम्ब के रूप में रह रहे थे और यह कि अनुसूचित वाद संपत्तियां विधिक सलाह पर अपीलार्थी के नाम में क्रय की गई थीं किन्तु वास्तव में, प्रतिफल रकम का संदाय संयुक्त कुटुम्ब निधियों से किया गया था । उसके बाद, उन्होंने यह दलील दी कि यह सुस्थिर विधि है कि जब एक बार यह स्वीकार या साबित कर दिया जाता है कि पर्याप्त संयुक्त कुटुम्ब संचित निधि थी जिसमें से संपत्तियां अर्जित की जा सकती थीं तो इसके पश्चात्, यह उपधारणा उद्भूत होगी कि संपत्तियां, संयुक्त कुटुम्ब की संपत्तियां हैं । इस मामले में, उसके बाद, विरोधी पक्षकार

---

[1] (2018) 1 एस. सी. सी. 604 (पैरा सं. 10-11, 13-18).

[2] (2001) 4 एस. सी. सी. 756 (पैरा सं. 5).

[3] (1969) 1 एस. सी. सी. 386 (पैरा सं. 6).

[4] ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1276 (पैरा सं. 3).

[5] (2007) 1 एस. सी. सी. 521 (पैरा सं. 12-17).

अपीलार्थी को यह साबित करना था कि उसने स्वयं अपनी निधियों से संपत्तियां अर्जित की थीं । वर्तमान मामले में, अनुसूचित वाद संपत्तियों से किए जा रहे कारबार से यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि इसे कुटुम्ब सदस्यों द्वारा चलाए जाने के नाते यह संयुक्त कुटुम्ब कारबार के रूप में था और इसे संयुक्त कुटुम्ब निधियों से अर्जित किया गया था । अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 1/वादी द्वारा दिए गए साक्ष्य को चुनौती देने में असफल रहा और संयुक्त कुटुम्ब संचित निधि के अस्तित्व को प्रत्यर्थी सं. 1/मूल वादी द्वारा साबित कर दिया गया है और इसे अपीलार्थी/मूल प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकार किया गया है ।

15. प्रत्यर्थियों ने **अप्पा साहेब पीरप्पा चमद्गादे** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लिया है, इस निवेदन के समर्थन में कि जब यह साबित या स्वीकार कर लिया जाता है कि कुटुम्ब के पास पर्याप्त संचित निधि है जिसकी सहायता से सदस्य ने अर्जन किया है तो विधि में यह उपधारणा की जाती है कि वह एक संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है और यह सिद्ध करने का भार उस वैयक्तिक सदस्य के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है कि संपत्ति को उक्त संचित निधि की सहायता के बिना उसके द्वारा स्वयं अर्जित की गई है । अतिरिक्त तौर पर, उसी प्रतिपादना के लिए **वी. डी. धनवातेय** बनाम **आय कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, नागपुर**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया है । तर्कों का खंडन करते हुए, उच्च न्यायालय ने सुसंगत मुद्दों और अभिलेख पर के साक्ष्यों का उल्लेख किए बिना प्रथम अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था, प्रत्यर्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने सुसंगत पहलुओं को उल्लिखित करने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष से संतुष्ट होते हुए इस बात को कायम रखा कि वह न्यायसंगत और समुचित था । उच्च न्यायालय के लिए यह अनावश्यक था कि वह साक्ष्य के प्रभाव का पुन: कथन करे या विचारण न्यायालय द्वारा दिए कारणों को पुन: दोहराए जैसा कि **संतोष हजारी** बनाम **पुरुषोत्तम तिवारी**[2] और **यू. मंजूनाथ राव** बनाम **यू. चंद्रशेखर और अन्य**[3]

---

[1] [1968] 2 एस. सी. आर. 62 (पैरा सं. 4 और 5).

[2] (2001) 3 एस. सी. सी. 179 (पैरा सं. 15).

[3] (2017) 15 एस. सी. सी. 309.

वाले मामलों में तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा मत व्यक्त किया गया है ।

16. क्रमशः, विद्वान् काउंसेल द्वारा विस्तृत तर्कों के दौरान किए गए विरोधी निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् और जिन्होंने हमारा ध्यान अभिवचनों और अभिलेख पर के साक्ष्यों की ओर दिलाया था, हम, पक्षकारों को प्रथम अपील में नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेजना समुचित समझते हैं । हम ऐसा एक से अधिक कारणों से कह सकते हैं । प्रथम यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील का निपटारा रहस्यमयी निर्णय द्वारा किया है । आक्षेपित निर्णय का प्रथम पांच पैरा मात्र संबंधित पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों को पुनः प्रस्तुत करने से संबंधित है । ऐसा करने के पश्चात् आक्षेपित निर्णय के पैरा 6 में उच्च न्यायालय ने सीधे-सीधे विचारण न्यायालय की इस राय की पुष्टि कर दी कि वाद संपत्तियां जो वादपत्र के अनुसूची ए और अनुसूची बी के भाग हैं, संयुक्त कुटुम्ब संपत्तियां हैं । यह पुनः प्रस्तुत पैरा 6 और 7 के विपरीत है जिसके द्वारा प्रथम अपील का निपटारा किया गया है । जो इस प्रकार है :–

> "6. मैं अपील में गुणागुण नहीं पाता हूं जहां तक कि यह ए और बी में अनुसूचित संपत्तियों का संबंध है । विचारण न्यायालय की यह राय कि वे संयुक्त कुटुम्ब संपत्तियां हैं, ठीक और समुचित है । किन्तु, प्रतिवादी सं. 3 और वादी द्वारा किए गए कृषिय भूमियों के विक्रय के संबंध में हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष एक अन्य आवेदन इस बात की जांच कराने के लिए देना चाहिए कि क्या आक्षेपित विक्रय अपीलार्थी पर आबद्धकर होगा । उस सीमा तक अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रारंभिक डिक्री के अपने उपचार के लिए आवेदन कर सकता है ।
>
> 7. जहां तक ए और बी अनुसूचित संपत्तियों के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का संबंध है, वह ठीक और समुचित है, तद्नुसार, अपील निपटाई जाती है ।"

17. **यू. मंजूनाथ राव** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के नवीनतम विनिश्चय में, न्यायालय ने **संतोष हजारी** (उपर्युक्त), **सरजू प्रसाद राम देव साहू** बनाम **ज्वालेश्वरी प्रताप नारायण सिंह और अन्य**[1], **मधुकर** (उपर्युक्त), **एच. के. एन. स्वामी** बनाम **इरशाद बासित (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण**[2] और **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य** बनाम **इम्मसंस इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य**[3] वाले मामलों को उल्लिखित करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "11. ..... इस प्रकार, प्रथम अपील में पक्षकारों को दोनों अर्थात् तथ्यों के साथ विधि के प्रश्नों पर सुने जाने का अधिकार होता है और प्रथम अपील न्यायालय से सभी पहलुओं पर विचार करने और लेखबद्ध कारणों द्वारा मामले का विनिश्चय करने की अपेक्षा होती है ।"

12. इस संदर्भ में, हम लाभप्रद रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 31 के प्रति निर्देश कर सकते हैं, जो निम्नलिखित है :–

आदेश 41

मूल डिक्रियों की अपीलें

31. **निर्णय की अन्तर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर** – अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें –

(क) अवधार्य प्रश्न ;

(ख) उन पर विनिश्चय ;

(ग) विनिश्चय के लिए कारण ; तथा

(घ) जहां वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा,

---

[1] ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 120 (पैरा सं. 15).

[2] (2005) 10 एस. सी. सी. 243 (पैरा सं. 3).

[3] (2011) 12 एस. सी. सी. 174.

और वह न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वह सुनाया जाए, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा ।

13. उक्त नियम का परिशीलन करने पर यह नितांत स्पष्ट होता है कि अपील न्यायालय के निर्णय में विनिश्चय के लिए कारण कथित होता है । यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रथम अपील न्यायालय का दृष्टिकोण विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि और उसे उलटते समय, इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार विभिन्न मानकों पर आधारित होता है । **गिरजानंदनी देवी** ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1124 वाले मामले में, न्यायालय ने यह निर्णयज विधि विहित की है कि साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय के मत से सहमत होते हुए, साक्ष्य के प्रभाव का पुन: कथन करना या विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को पुन: दोहराना आवश्यक नहीं है । विचारण न्यायालय के निर्णय, जो अपील के अधीन है, में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से साधारण तौर पर सहमत होने की अभिव्यक्ति साधारण तौर पर पर्याप्त होनी चाहिए । इसे **संतोष हजारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की एक अन्य न्यायपीठ द्वारा स्वीकार किया गया है । तथापि, विधि कथित करते समय न्यायालय की यह राय थी कि अपील के अधीन निर्णय में अभिलिखित निष्कर्षों के साथ साधारण सहमत होने की अभिव्यक्ति, अपील न्यायालय पर अधिरोपित कर्तव्य को स्वीकार करते समय कोई युक्ति या छद्यावरण नहीं होना चाहिए । हमारा यह विचार है कि उक्त राय की अभिव्यक्ति को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए । इस बात की कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि यह कथित किया जा सके कि प्रथम अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को अक्षरश: उद्धृत करना चाहिए और इसके पश्चात् कुछ शब्दों को उल्लिखित करते और यह मत व्यक्त करना चाहिए कि विचारण न्यायालय के निर्णय से भिन्न कोई कारण नहीं है । यह न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त विधि का कथन नहीं है । **संतोष**

हजारी (उपर्युक्त) वाले मामले में, विधि का कथन विवेक में उद्भूत होना चाहिए ।

14. इस संबंध में, आशा देवी **बनाम** दुखी साव (1974) 2 एस. सी. सी. 492 वाले मामले में तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ के विनिश्चय का उल्लेख करना उपयुक्त है, यद्यपि, संदर्भ भिन्न था । उक्त मामले में, प्रथम अपील में एकल न्यायाधीश के निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई करने की खंड न्यायपीठ की शक्तियों के बारे में प्रश्न उद्भूत हुआ था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लेटर्स पेटेंट अपील में दोनों तथ्य और विधि के प्रश्नों पर सुनवाई हो सकती है । उक्त विनिश्चय को निर्दिष्ट करने का प्रयोजन मात्र यह दर्शित करना है कि जब लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की जाती है तो यह विधि के प्रश्नों तक निर्बंधित नहीं होता है । अपीलार्थी, तथ्यों और साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित विवाद्यकों को उद्भूत कर सकता है । यह इस तथ्य को दर्शित करते हैं कि प्रथम अपील न्यायालय की एक सुनिश्चित भूमिका होती है और इसके निर्णय में विवेक लागू होना दर्शित होना चाहिए और वह कारण दर्शित होना चाहिए जिस पर वह विचारण न्यायालय से सहमत हुआ है । उक्त वाक्य का समुचित भाव 'राय की अभिव्यक्ति' होती है । यह नहीं कहा जा सकता है कि मात्र सहमति होने से ही विधि की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस बारे में एक चीज कही जा सकती है कि अपील, बिना सार के है और यह किसी चीज की व्याख्या, विश्लेषण करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि अपील, गुणागुण रहित है ।"

सी. वेंकट स्वामी (उपर्युक्त) वाले एक अन्य नवीनतम विनिश्चय में, एक बार पुन: इस न्यायालय ने **कुरियन चाको** बनाम **वर्की ऑसेफ**[1], **संतोष हजारी** (उपर्युक्त), **एच. के. एन. स्वामी** (उपर्युक्त), **जगन्नाथ** बनाम

[1] ए. आई. आर. 1969 केरल 316.

अरुलप्पा और एक अन्य[1], **बी. वी. नागेश और एक अन्य** बनाम **एच. वी. श्रीनिवास मूर्ति**[2], **एस. बी. आई.** (उपर्युक्त) तथा **भारत संघ** बनाम **के. वी. लक्ष्मण और अन्य**[3] वाले मामलों का उल्लेख करते हुए, प्रथम अपील विनिश्चित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील न्यायालय पर अधिरोपित कर्तव्य के साथ शक्तियों के संबंध में सुस्थिर विधिक प्रतिपादना को दोहराया है ।

18. हमें, इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वाद, पूर्व में वर्ष 1982 में फाइल किया गया था और यह कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील वर्ष 2009 से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है । हम एक प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को हटाने के बजाय स्वयं इसके गुणागुणों पर मामले का विचार करने और इसकी परीक्षा करने के लिए सहमत थे । किन्तु, यह उल्लिखित किया गया कि अपीलार्थी ने तथ्यों के साथ ही विधि के निषिद्ध योग्य विवाद्यकों को उद्भूत किया है जिस पर उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम प्रेरणा पर ही समुचित ध्यान देना चाहिए था । अतिरिक्त तौर पर, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की इस शिकायत पर भी ध्यान देना चाहिए था कि दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जो अपीलार्थी की राय में दुरूह थे, को भी प्रदर्शित नहीं किया गया है, यद्यपि, उन्हें विचारण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जैसा कि अपीलार्थी द्वारा फाइल लिखित निवेदनों में उल्लिखित किया गया है । इसलिए, हम निर्णयज मामलों में इस न्यायालय की संगत राय से विचलित होने की इच्छा नहीं रखते हैं कि प्रथम अपील न्यायालय को संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए था और उसमें निहित अधिकारिता के समुचित भाव में अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहिए था और व्याख्या करते हुए, विश्लेषण करते हुए, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि अपील गुणागुण रहित है ।

---

[1] (2005) 12 एस. सी. सी. 303 (पैरा सं. 2).

[2] (2010) 13 एस. सी. सी. 530 (पैरा सं. 3 और 5).

[3] (2016) 13 एस. सी. सी. 124.

19. हम, प्रदर्शित दस्तावेजों के प्ररूप में अभिवचनों और साक्ष्यों का और जिनमें अप्रदर्शित दस्तावेज सम्मिलित हैं और इसके सिवाय कि जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विचार में लेना चाहिए था और विधि में यथाअनुज्ञेय रूप से निष्कर्ष निकालना चाहिए था, विश्लेषण करने के लिए आबद्ध हैं । दूसरे शब्दों में, हम संविवाद के गुणागुणों पर कोई भी राय अभिव्यक्त करना समुचित नहीं समझते हैं । उच्च न्यायालय, आक्षेपित निर्णय में अभिव्यक्त किए गए किसी भी मताभिव्यक्ति के प्रभाव में आए बिना प्रथम अपील का विनिश्चय करेगा । क्योंकि वर्ष 2002 में संबंधित प्रथम अपील को वापस भेजा गया था, इसलिए, हम उच्च न्यायालय से उसे तत्परतापूर्वक निपटारा करने का निवेदन करते हैं ।

20. तद्नुसार, अपीलें मंजूर की जाती हैं । कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर द्वारा पारित क्रमश: तारीख 7 सितम्बर, 2004 और तारीख 27 सितम्बर, 2006 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री और आदेशों को अपास्त किया जाता है और इसके बजाय पूर्वोक्त उल्लिखित निर्देशों के साथ उच्च न्यायालय के पास 2002 की आर. एफ. सं. 456 को वापस भेजा जाता है । खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है । सभी लंबित आवेदन निपटाए जाते हैं ।

तद्नुसार, अपीलें निपटाई गईं ।

क.